न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कालेवा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 113/04

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बरगतखां पुत्र जेपरखां मोयला मुसलमान निवासी रिछोली के कायम मुकाम 1/2 गन्नीखां पुत्र बरगतखां 1/3 हबीबखां पुत्र बरगतखां 1/4 जहूरी पुत्री बरगतखां मोयला मुसलमान निवासी रिछोली		1. खीमूखां पुत्र अमीरखां सिधी मुसलमान 2. गफूरखां पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान 3. रमजान पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान 4. पीरेखां पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान निवासीगण रिछोली 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत 183,188 रा. का अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 28.6.2018

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है। कि मौजा रिछोली के खसरा नम्बर 174 रकबा 66 बीघा 14 विस्वा भूमि की खातेदार आई हुई है। खसरा नम्बर 174 के ब दिशा पूर्व मे प्रतिवादी नम्बर 1 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 177 आया हुआ है। किसके सेढे पर प्रतिवादी नम्बर 1 की ढाणी बनी हुई है। तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है। जो प्रतिवादी सं. 1 के सामिल रहते है। तथा खेत खसरा नम्बर 177 पर काबिल काश्त है। प्रतिवादीगण ने सेढे को धीरे–धीरे सरकाना शुरू किया मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' साथ पेश है। जिसे दावे का अंग शूमार किया जावे। प्रविादीगण को रकबा 4 बीघा भूमि पर कब्जा बनाये रखने का कोई वैद्य अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा बतौर अतिक्रमी के है। प्रतिवादीगण के विरूध्द नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे वर्णित भूमि पर ए. बी. सी. डी. रकबा 4 बीघा पर से नाजायज कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद पत्र पेश है।

वादी की प्रार्थना है। कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 174 की भूमि नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे वर्णित ए. बी. सी. डी. रकबा 4 बीघा पर से प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा/अतिक्रमण हटाया जाकर वादी को भूमि का कब्जा दिलाया जावे । खसरा नम्बर 174 की पैमाईश करवा कर खेत की सीमा बी से सी तक वादी के खर्चे से मददारे लगाये जावे। प्रतिवादीगण के विरूध्द स्थाई निषेद्यज्ञा जारी कि जावे कि वे वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 174 के किसी भू भाग पर वादी के कब्जा काश्त मे दखल पैदा ही करे ।

प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने दिनांक 29.12.2005 को जवाब पेश कर जाकहर किया ख0 न0 177 हक प्रतिवादीगण की खातेदारी है। उसमे रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है। व काश्त करते है। व उस पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने कोई सेढा वादी के खेत की तरफ नही सरकाया है। नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' गलत पेश किया है। मौके पर वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन सेढा अर्थात बाढ सीधी बनी हुइ है। व इसी अनुसार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की 4 बीघा भूमि पर कोई कब्जा नही है। न ही काबिज है। वादी किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. कालेवा

(मुहर: अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

Scanned by CamScanner

इस सम्बन्ध मे तनकियात कायम की गई।

1. आया खेत खसरा नम्बर 174 रकबा 66.14 बीघा सरहद मौजा रिछोली वादी के खातेदारी का है। – वादी
2. आया नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे वर्णित खसरा नंबर 174 की भूमि ए0बी0सी0डी0 रकबा 04 बीघा पर प्रविादीगण का नजायज अतिक्रमण है। – प्रतिवादी
3. आया वादी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे वर्णित भूमि ए0 बी0 सी0 डी0 04 बीघा का कब्जा प्राप्त कर बाद पैमाईश सीमा बी से सी पर मदारे लगाने के अधिकारी है। – वादी
4. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेद्यज्ञा पाने का अधिकारी है– वादी
5. आया तहसीलदार को नोटिस के अभाव मे दावा चल नही सकता – प्रतिवादी
6. आया वादी के वाद पत्र के साथ शपथ पत्र नही किया, जिसका दावे पर क्या असर है – प्रतिवादी
7. अनुतोष

बाद तनकियात वादी की साक्ष्य तलब की गई साक्ष्य मे वादी के बयान लिये जो पी डब्लूय 1 व पी डब्लूय 2 सदीक खां पी डब्लूय 3 ईसे खां व पी डब्लूय 4 गन्नी खां को पेश किया। प्रतिवादी की और से साक्ष्य पेश नही करने पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य दिनांक 18.6.2012 को बंद की है।

वदी ने वाद के समर्थन मे स्वंय के ब्यान करवाये व बयानो मे वाद पत्र के तथ्यो का समर्थन किया व खसरा नम्बर 174 की 4 बीघा भूमि नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे वर्णित ए. बी. सी. डी. पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाया जाकर वादी को भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

गवाह सदीक खां पी डब्लूय 2 गवाह ईसे खां पी डब्लूय 3 व गवाह गन्नी खां पी डब्लूय 4 को पेश किया जिन्होने वाद पत्र के तथ्यो का समर्थन किया व खसरा नम्बर 174 की 4 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना जाहिर किया है।

वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान स्थिति की मौका रिर्पोट पेश करने हेतु नायब तहसीलदार को लिखा गया नायब तहसीलदार पाटोदी ने रिर्पोट पेश कर जाहिर किया खसरा नम्बर 174 मे पड़ोसी खातेदारान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तथा रिर्पोट को सलग्न नक्शा मे ए से बी व सी से डी अवैध कब्जा को पीले रंग से दर्शाई गई पर अवैध कब्जा होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली मय दस्तावेज नायब तहसीलदार पाटोदी की रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नायब तहसीलदार पचपदरा की रिर्पोट अनुसार खसरा नम्बर 174 पर विप्रार्थीगण का अवैध कब्जा होना पाया जो रिर्पोट के संलग्न प्रस्तुत नक्शा मे ए बी व सी डी दर्शाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय संगत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। नायब तहसीलदार पाटोदी की रिर्पोट मे खसरा नम्बर 174 ए बी सी डी दर्शाये गये अवैद्य अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये जाते है। अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु नायब तहयीलदार पाटोदी को अतिकृत किया जाता है। अतिक्रमण हटाने मे पुलिस की ईमदाद की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित थाना से पुलिस इमदाद ली जावे। तथा विप्रार्थीगण को स्थाई निषेद्यज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 की भूमि मे वादी के कब्जे कास्त मे दखल पैदा नही करे। व अवैध अतिक्रमण हटा लेवे। डिगरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प कालेवा मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..कालेवा...

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)

अज अदालत–	श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :–	श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बरगतखां पुत्र जेपरखां मोयला मुसलमान निवासी रिछोली के कायम मुकाम 1/2 गन्नीखां पुत्र बरगतखां 1/3 हबीबखां पुत्र बरगतखां 1/4 जहूरी पुत्री बरगतखां मोयला मुसलमान निवासी रिछोली		1. खीमूखां पुत्र अमीरखां सिधी मुसलमान 2. गफूरखां पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान 3. रमजान पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान 4. पीरेखां पुत्र खीमूखां सिधी मुसलमान निवासीगण रिछोली 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

<u>दावा बाबत 183,188 रा. का अधिनियम 1955</u>

मुकदमा नंबर 113/2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि नायब तहसीलदार पाटोदी की रिर्पोट मे खसरा नम्बर 174 ए बी सी डी दर्शाये गये अवेद्य अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिये जाते है। अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु नायब तहयीलदार पाटोदी को अतिकृत किया जाता है। अतिक्रमण हटाने मे पुलिस की ईमदाद की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित थाना से पुलिस इमदाद ली जावे। तथा विप्रार्थीगण को स्थाई निषेद्यज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 की भूमि मे वादी के कब्जे कास्त मे दखल पैदा नही करे। व अवैध अतिक्रमण हटा लेवे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 28.06.2018 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........
का/िदा

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner